न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01/2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023/19

प्रार्थीगण

1 दलाराम पुत्र आम्बाराम
2 मनोहरलाल पुत्र आम्बाराम
3 भेराराम पुत्र लालाराम
4 हरचंद पुत्र लालाराम
जातियान–रेबारी, निवासीगण–
भूरा की ढाणी कारोला,
तहसील व जिला–सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 आम्बाराम पुत्र बिजला
2 चतराराम पुत्र बिजलाराम
3 हरचंद पुत्र बिजलाराम
4 गंगा देवी पत्नी बिजलाराम
5 गमनाराम पुत्र प्रेहलादराम
6 नरसीराम पुत्र प्रेहलादराम
7 निम्बाराम पुत्र प्रेहलादराम
8 चन्दना देवी पत्नी प्रेहलादराम
9 गोवा पुत्र शम्भू
10 लहरा पत्नी शम्भू
11 पन्ना पुत्र रामा
12 प्रताप पुत्र रामा
13 वना पुत्र रामा
14 हरदा पुत्र रामा
15 वीरा पुत्र मगा, जातियान
रेबारी, निवासीगण–भूरा की
ढाणी कारोला, तहसील व जिला–सांचौर
16 तहसीलदार सांचौर
17 पटवारी, पटवार हल्का
कारोला, तहसील–सांचौर

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 21.03.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 8 लगायत 14 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5 व 15 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह कीलवा उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
5. अप्रार्थी संख्या 6, 7 व 17 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 20.09.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:04 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अ[illegible] पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] ढाणी कारोला, पटवार हल्का–कारोला के पुराने खसरा संख्या 897 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या [illegible] रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थी [illegible] का खातेदारी कब्जा काश्त [illegible] आया हुआ है। खसरा संख्या 897 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में से 12 बिस्वा व खसरा संख्या 898 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में से 1 बीघा कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा अर्थात् 0.2590 हैक्टेयर राज्य सरकार द्वारा अवाप्त कर गैर मुमकिन सड़क के खाते में दर्ज कर खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

897/1 रकबा 12 बिस्वा व खसरा संख्या 898/1 रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन सड़क राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दुरूस्ती की गई। शेष आराजी खसरा संख्या 897 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 898 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा प्रार्थीगण के खाते में दर्ज की गई। मौजा भूरा की ढाणी कारोला का पुराना खसरा संख्या 1099 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा आया हुआ है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 के नाम दर्ज है उक्त पुराने खसरा संख्या 1099 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा राज्य सरकार द्वारा अवाप्त कर गैर मुमकिन सड़क के नाम दर्ज कर दुरूस्ती की गई। शेष आराजी अप्रार्थीगण के खाते में रकबा 1.6268 हैक्टेयर दुरूस्ती की गई। अप्रार्थीगण 1 लगायत 16 के खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 1099 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा यानि 1.6268 हैक्टेयर से नवसृजित खसरा संख्या 2371 रकबा 0.81 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2372 रकबा 0.82 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.63 हैक्टेयर है जो पुराने बीघा व बिस्वा के बराबर है तथा खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खातेदारी की है भूलवंश अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी है जो अप्रार्थीगण के हिस्से से ज्यादा है। द्वितीय सेटलमेंट में प्रार्थीगण के खातेदारी खेत पुराने खसरा संख्या 897, 898, 895 के नवीन खसरा संख्या 1669, 1677 सृजित कर भूलवश रकबा बिना वजह 0.04 हैक्टेयर कम भूमि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर दी गई। उक्त 0.04 हैक्टेयर भूमि के नवीन खसरा संख्या 2370 अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर तरमीम कर दी, जबकि नवीन खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के पुराने खसरा संख्या 897, 898 का हिस्सा है। मौके पर दो ओरड़िया बनी हुई है व कब्जा काश्त प्रार्थीगण का आया हुआ है अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि नवीन खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान करावें।

राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपना जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पुराने खसरा संख्या 895 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 897 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 898 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी के है जिसके नवीन खसरा संख्या 1669, 1670, 1671, 1672, 1675, 1677, 1741/2711 द्वितीय भू–प्रबंध अनुसार सृजित हुए है पुराने खसरा संख्या 895, 897, 898 का कुल रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् 5.10 हैक्टेयर है जबकि इनसे नवसृजित खसरा संख्या 1669, 1670, 1671, 1672, 1675, 1677, 1741/2711 का कुल रकबा 5.05 हैक्टेयर बनता है। पुराने एवं नवीन खसरा नंबरान् के आकृति व रकबा मिलान अनुसार खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर पुराने खसरा संख्या 897, 898 का हिस्सा प्रतीत होता है तथा मौके पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। राजस्व रेकर्ड पुराने एवं नवीन नक्शा से मिलान एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करना उचित प्रतीत होता है। अप्राथी संख्या 1 लगायत 15 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है परन्तु प्रार्थना–पत्र के अनुतोष में खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर की खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया है जबकि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में मात्र लिपिकीय भूलों का शुद्धिकरण किये जाने का प्रावधान है किसी भी व्यक्ति को इस धारा के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन, आधारहीन एवं कानुनीया पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकरान् की बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत पुराना खस[illegible]होने एवं कब्जा काश्त प्रार्थीगण का आया होने से उक्त नवीन खसरा संख्या [illegible] 0.04 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर रेकर्ड [illegible]करावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुतोष में खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर की खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया है जि[illegible] संबंध में विधि का स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मात्र लिपिकीय भूलों का शुद्धिकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

किया जाने का प्रावधान है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, बलहीन एवं कानूनीया पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।

राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड, पुराने व नवीन नवशा से मिलान एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करना उचित प्रतीत होता है तथा उक्त दुरूस्ती में राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजा भूरा की ढाणी कारोला के खसरा संख्या 1099 की प्रथम, द्वितीय मिसल, जमाबंदी परिवर्तनशील नामान्तरकरण मिलान क्षैत्रफल की प्रतिलिपि, वर्तमान जमाबंदी, नवशा ट्रैस खसरा संख्या 897, 898 की प्रथम द्वितीय मिसल बंदोबस्त, परिवर्तनशील जमाबंदी, नामान्तरकरण मिलान क्षैत्रफल की नकल, वर्तमान जमाबंदी, वर्तमान नवशा ट्रैस इत्यादि पेश किये है। प्रथम मिसल बंदोबस्त में खसरा संख्या 895, 897 एवं 898 का कुल रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 5.10 हैक्टेयर दर्ज था। खसरा संख्या 897, 895 एवं 898 से नवसृजित खसरा संख्या 1669, 1670, 1671, 1672, 1675, 1677 कुल रकबा 5.05 हैक्टेयर ही बनता है एवं अप्रार्थीगण के पुराने खसरा संख्या 1099 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा अर्थात् 1.87 हैक्टेयर दर्ज था, जिसमें से सड़क हेतु 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि सड़क हेतु अवाप्त होने पर 10 बीघा 01 बिस्वा अर्थात् 1.6268 हैक्टेयर से अधिक रकबा दर्ज कियाहै, जो वस्तुतः खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर को द्वितीय भू–प्रबंध के समय कर्मचारियों द्वारा गलत ढंग से अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर दिया गया। अतः उपरोक्त तमाम दस्तोवजात् एवं जवाब राज पैरोकार के आधार पर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा भूरा की ढाणी, कारोला के नवीन खसरा संख्या 2370 रकबा 0.04 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दुरूस्ती की जावें। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सांचौर के नाम पृथक से तहरीर जारी हो।

प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **20.09.2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner